IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 2, July 2022
Impact Factor: 6.252

मध्यस्थम एवं लोक अदालतों की सुलह विधि द्वारा प्रकरणों का निस्तारण

डॉ. प्रभाकर द्विवेदी
ग्रामः पोस्ट लहंगपूर, जिलाः मिर्जापुर (उ. प्र.)

शोध सारांशः

पक्षकारों के बीच विवाद को तय करने के तीन ही तरीके हैं, पहला यह कि विवाद के निस्तारण हेतु न्यायालय में मुकदमा दायर किया जाये जिसमें न्यायालय दोनों पक्षकारों का साक्ष्य लेखबद्ध करके अपने निर्णय द्वारा डिक्री पारित करती है। न्यायालय द्वारा विवाद निस्तारण करने के तरीके में पहले वाद योजित करना होता है जिसमें सिविल प्रक्रिया संहिता की सभी औपचारिकताओं को पूरा करना होता है और सुनवाई के दौरान पक्षकारों द्वारा जो साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है उसको भी साक्ष्य अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार ही ग्राह्य किया जा सकता है अतः न्यायालय की प्रक्रिया तकनीकी एवं क्लिष्ट होती है और इसमें समय लगना स्वाभाविक ही है। विवाद निस्तारण करने का दूसरा तरीका पक्षकारों की सहमति से मध्यस्थ की नियुक्ति करके उसको विवाद के निस्तारण के लिए निर्दिष्ट करना है जिसमें मध्यस्थ के लिए यह बाध्यकर नहीं होता है कि वह सिविल प्रक्रिया संहिता एवं साक्ष्य अधिनियम के प्राविधानों का अनुपालन करें। इसमें मध्यस्थ द्वारा जो विवादों के निस्तारण सम्बन्धी निर्णय दिया जाता है उसे अवार्ड या पंचाट कहते हैं जो कि न्यायालय की डिक्री के समान होता है। विवाद निस्तारण का तीसरा तरीका सुलह के माध्यम से किया जाता है जिसमें पक्षकार अपने विवाद को सुलह द्वारा तय करने के लिए जब तैयार हो जाते हैं तो उनके बीच सुलहकर्ता दोनों पक्षकारों की दलीलों को पढ़कर इस बात का प्रयास करते हैं कि दोनों पक्षकारों के बीच सुलह हो जाये और पक्षकारों द्वारा ही सुलहकर्ता के सहयोग से समझौता निष्पादित किया जा सकता है जिसकी सुलहकर्ता पुष्टि करता है, इसमें न तो किसी प्रकार का साक्ष्य लेखबद्ध करना पड़ता है और न ही किसी प्रकार के सिविल प्रक्रिया संहिता या साक्ष्य अधिनियम के प्राविधानों के पालन करने की आवश्यकता है और यह सीधा एवं पक्षकारों के चुने हुए मध्यस्थों द्वारा विवादों का निस्तारण कराने को मध्यस्थम कहते हैं। इस शोध पत्र में इन्हीं बिन्दुओं को उल्लिखित करने का एक प्रयास है।

प्रस्तावनाः

प्राचीन समय में, विवादों को "पंचायतों" के रूप में संदर्भित किया जाता था, जिन्हें ग्रामीण स्तर पर स्थापित किया गया था। पंचायतों ने मध्यस्थता के माध्यम से विवादों को हल किया। यह मुकदमेबाजी के समाधान का एक बहुत ही प्रभावी विकल्प साबित हुआ है। मध्यस्थता, बातचीत या मध्यस्थता के माध्यम से विवादों के निपटारे की यह अवधारणा लोक अदालत के दर्शन में अवधारणा और संस्थागत है। इसमें ऐसे लोग शामिल हैं जो विवाद समाधान से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हैं।

आजादी से पहले और विशेषकर ब्रिटिश शासन के दौरान अदालतों की अवधारणा को पिछली कुछ शताब्दियों में गुमनामी में धकेल दिया गया था। अब, इस अवधारणा का एक बार फिर से कायाकल्प हो गया है। यह वादियों के बीच बहुत लोकप्रिय और परिचित हो गया है। यह वह प्रणाली है, जिसकी भारतीय कानूनी इतिहास में गहरी जड़ें हैं और भारतीय लोकाचार में न्याय की संस्कृति और धारणा के प्रति इसकी घनिष्ठ निष्ठा है। अनुभव से पता चला है कि यह बहुत ही कुशल और महत्वपूर्ण एडीआर तंत्रों में से एक है और

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 2, July 2022
Impact Factor: 6.252

भारतीय पर्यावरण, संस्कृति और सामाजिक हितों के लिए सबसे अनुकूल है। मार्च 1982 में शुरू में गुजरात में लोक अदालतों के शिविर शुरू किए गए थे और अब इसे पूरे देश में विस्तारित किया गया है। इस आंदोलन का विकास लंबित मामलों के साथ न्यायालयों पर भारी बोझ को राहत देने और वादियों को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के आगमन ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 39–ए में संवैधानिक जनादेश का पालन करते हुए लोक अदालतों को वैधानिक दर्जा दिया। इसमें लोक अदालत के माध्यम से विवादों के निपटारे के विभिन्न प्रावधान हैं।

यह अधिनियम समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी नागरिक को आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी भी नागरिक से इनकार नहीं किया जाता है, कानूनी सेवाओं के अधिकारियों के गठन को अनिवार्य बनाता है। यह लोक अदालतों के संगठन को यह सुनिश्चित करने के लिए भी अनिवार्य करता है कि कानूनी प्रणाली का संचालन समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देता है। जब लोक अदालत को वैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी, तो यह विशेष रूप से प्रदान किया गया था कि लोक अदालत द्वारा पारित किए गए पुरस्कार को समझौते की शर्तों को तैयार करने के लिए एक अदालत के डिक्री का बल होगा, जिसे एक सिविल कोर्ट डिक्री के रूप में निष्पादित किया जा सकता है। लोक अदालत नामक आंदोलन का विकास लंबित मामलों के साथ न्यायालयों पर भारी बोझ को कम करने और न्याय पाने के लिए कतार में खड़े वादियों को राहत देने की रणनीति का एक हिस्सा था। इसमें लोक अदालत के माध्यम से विवादों के निपटारे के विभिन्न प्रावधान हैं। पार्टियों को वकीलों द्वारा प्रतिनिधित्व करने की अनुमति नहीं है और न्यायाधीश के साथ बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जो सौहार्दपूर्ण निपटान में पहुंचने में मदद करते हैं। पार्टियों द्वारा कोई शुल्क नहीं दिया जाता है। सिविल प्रोसीजरल कोड का सख्त नियम और साक्ष्य लागू नहीं होता है। निर्णय अनौपचारिक बैठने और पार्टियों पर बाध्यकारी होने से है और कोई अपील लोक अदालत के आदेश के खिलाफ नहीं होता है।

स्थायी लोक अदालतें

2002 में, परिवहन सेवा, डाक, टेलीग्राफ या टेलीफोन सेवाएं, जनता को बिजली, प्रकाश और पानी की आपूर्ति, सार्वजनिक संरक्षण या स्वच्छता की प्रणाली, केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित बीमा सेवाएं और ऐसी अन्य सेवाएँ, स्थायी लोक अदालतों में वही शक्तियाँ होती हैं जो अदालतों में निहित होती हैं।

लोक अदालतों का क्षेत्राधिकार–

लोक अदालत के अधिकार क्षेत्र में निर्धारित करने और पक्षकारों के बीच किसी विवाद के संबंध में समझौता या समझौता करने के लिए होगा–जैसे पहले से लंबित कोई भी मामला; या कोई भी मामला जो के अधिकार क्षेत्र में आ रहा है, और पहले नहीं लाया गया है, कोई भी अदालत जिसके लिए लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। लोक अदालत उन आपराधिक मामलों से भी समझौता और समझौता कर सकती है, जो संबंधित कानूनों के तहत यौगिक हैं।

लोक अदालतों में कई मामलों से निपटने की क्षमता है–जटिल सिविल, राजस्व और आपराधिक मामले दावा करता है, मोटर दुर्घटना मुआवजा मामलों का, विभाजन का दावा, मामलों को नुकसान, वैवाहिक और पारिवारिक विवाद, भूमि मामले का म्यूटेशन, भूमि पट्टिका के मामले, बंधुआ मजदूरी के मामले, भूमि अधिग्रहण विवाद, बैंक के अवैतनिक ऋण के मामले, सेवानिवृत्ति के मामलों के मामले में लाभ, परिवार न्यायालय के मामले, मामले, जो कि पराधीन नहीं हैं।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 2, July 2022
Impact Factor: 6.252

मध्यस्थम से विवादों के निस्तारण करने के मुख्य लाभ

पक्षकारों के कई मामले तकनीकी प्रकृति के होते हैं जिनको समझने के लिए विशेष तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है इसलिए ऐसे तकनीकी मामलों के झगड़ों का निस्तारण ऐसा ज्ञान रखने वाले विशेष व्यक्तियों को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करके विवादों का समाधान आसानी से कराया जा सकता है। जबकि दूसरी ओर ऐसे विशेष तकनीकी मामलों के संबंध में न्यायालय को तकनीकी ज्ञान की जानकारी लेनी पड़ती है इसलिए शायद न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों का आसानी से तय किया जाना कठिन हो जब कि तकनीकी ज्ञान वाले किसी इंजीनियर को मध्यस्थ के रूप में अपने विवादों का निस्तारण करने हेतु नियुक्त किये जाने पर वह सुगमता से इसमें अपना निर्णय दे सकता है।

मध्यस्थम में न्यायालयों की अपेक्षा शीघ्र वादों का निपटारा किया जाता है क्योंकि न्यायालय में वैसे ही मुकदमे का अम्बार होता है और यह भी निश्चित नहीं होता कि मुकदमा निर्धारित तिथि पर सुनवाई के लिए लिया जाता भी है या नहीं। न्यायालय में प्रायः मुकदमों में तारीख पर तारीख पड़ती रहती है इसलिए यह भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि गवाह नियत तिथि पर उपस्थित हों तो उनका साक्ष्य भी न्यायालय द्वारा उसी तारीख पर लिया जाना सम्भव होगा जबकि दूसरी तरफ मध्यस्थम के साथ ऐसी कोई समस्या नहीं है उसके पास यही एक मामला सुनवाई के लिए होता है जिससे कि वह निर्धारित तिथि पर न केवल सुनवाई कर सकता है बल्कि इसका निर्णय भी शीघ्रातिशीघ्र करने में सक्षम होता है जिससे पक्षकारों को कम परेशानी होती है और मध्यस्थ कार्यवाही न्यायालय के सम्मुख चल रही कार्यवाही से कम खर्चीली होती है।

चूंकि पक्षकारों की सहमति से ही माध्यस्थ नियुक्त किया जाता है इसलिए पक्षकारों की सुविधा को देखते हुए विवादों की सुनवाई का स्थान व समय भी बदला जा सकता है। इसी प्रकार मध्यस्थ विवादग्रस्त स्थल, विषय या वस्तु का निरीक्षण कर सकता है जबकि न्यायालय के समक्ष समय का अभाव होने के कारण निरीक्षण करना सम्भव नहीं होता है । इसलिए मध्यस्थम द्वारा विवादग्रस्त वस्तु का अवलोकन एक बार हो जाने से पक्षकारों के विवादों को समझने एवं शीघ्र निपटारा करने में सहायता मिलती है ।

क्योंकि न्यायालय को कार्यवाही को विधिसम्मत प्रक्रिया एवं औपचारिकताओं से पूरी करना होता है जबकि मध्यस्थ कार्यवाही में उभय पक्षकार अपनी सहमति से सरल प्रक्रिया अपना सकते हैं और मध्यस्थ पर यह बाध्यकर नहीं होता कि वह सिविल प्रक्रिया संहिता एवं साक्ष्य अधिनियम की जटिल एवं तकनीकी प्रक्रिया को ही अपनाये । अतः मध्यस्थम द्वारा की गयी कार्यवाही न्यायालय स्थिति में उसका निस्तारण मध्यस्थों द्वारा करने की व्यवस्था हो तथा इस मध्यस्थम करार के अनुसार ही पक्षकारों के बीच विवाद उत्पन्न होने पर नियुक्त किये गये मध्यस्थ को विवादों का निस्तारण कराने के लिए निर्दिष्ट किया जाता है मध्यस्थ पक्षकारों के कथनों पर विचार करने एवं साक्ष्य लेखबद्ध करने के बाद अपना निर्णय पंचाट के रूप में देता है जिस पर यदि किसी पक्षकार की कोई आपत्ति हो तो उसका निस्तारण करने के बाद वह पंचाट पक्षकारों पर बाध्यकर होता है। अतः मध्यस्थम के मुख्य तत्वों को इस प्रकार उल्लिखित किया जा सकता है।

(1) पक्षकारों के मध्य लिखित करार का अस्तित्व में होना ।
विवादों का उत्पन्न होना, जो कि मध्यस्थ द्वारा तय किया जाता है।
(2) विवादों के निस्तारण करने हेतु मध्यस्थ को निर्दिष्ट किया जाता है।
(3) मध्यस्थ द्वारा पक्षकारों को सुनने के बाद पंचाट तैयार किया जाता है।
(4) पंचाट पर पक्षकारों की यदि कोई आपत्ति हो तो उसका निस्तारण करने के बाद पंचाट का उभय पक्षकारों पर आबद्धकर होना ।
(5) मध्यस्थम सम्बन्धी विधि के मुख्य प्राविधान रू

मध्यस्थम संबंधी पूर्ण विधि की व्यवस्था मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 में की गयी है इस अधिनियम की धारा–7 में यह उपबन्ध किया गया है कि जब पक्षकार अपने विवादों का निपटारा न्यायालय से

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 2, July 2022
Impact Factor: 6.252

न कराकर अपनी सहमति से नियुक्त किये गये मध्यस्थों से कराने चाहते हैं तो उनके बीच मध्यस्थम करार होना परम आवश्यक है। पक्षकारों के बीच ऐसे मध्यस्थम करार के लिए आवश्यक है कि वह लिखित रूप में होनी चाहिए और यदि मध्यस्थम करार किसी दस्तावेज के रूप में हो तो उसमें दोनों ही पक्षकारों के हस्ताक्षर होने परम आवश्यक है। यदि पक्षकारों के बीच में लिखे गये पत्राचार इत्यादि पर पक्षकारों द्वारा विवादों को निस्तारण करने हेतु सहमति जताई जाती है तो वह भी मध्यस्थम करार की प्रकृति में प्रकार माध्यस्थम करार में अन्य जो भी प्राविधान किये गये हैं उन्हीं के अनुसार ही मध्यस्थ अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए विवादों के निस्तारण हेतु अपना निर्णय अर्थात् पंचाट दे सकता है।

पक्षकारों की रजामन्दी से सुनवाई का स्थान निर्धारित करना –

पक्षकारों के बीच विवाद उत्पन्न होने पर इस अधिनियम की धारा 20 में पक्षकारों को यह स्वतंत्रता दी गयी है कि वह मध्यस्थम कार्यवाही के स्थान को नियत कर सकते हैं जिसके अनुसार ही उस स्थान पर पक्षकारों के विवादों की सुनवाई की जायेगी और उसी तरह जिस भाषा में पक्षकार चाहते हैं कि उनकी यह सुनवाई की जाय उसी भाषा का मध्यस्थ को प्रयोग करना होगा जैसा कि इस अधिनियम की धारा–22 में भी यह प्राविधानित किया गया है।

मध्यस्थ साक्ष्य को लेखबद्ध करने के लिए न्यायालय की सहायता प्राप्त कर सकता है –मध्यस्थम कार्यवाही की सुनवाई में दस्तावेज एवं साक्ष्य लेखबद्ध करना होता है। यदि मध्यस्थ यह समझता है कि किसी व्यक्ति से दस्तावेज दाखिल करने की आवश्यकता है या किसी व्यक्ति का साक्ष्य लेखबद्ध किया जाना है तो उसके लिए वह सम्बन्धित सिविल न्यायालय की सहायता लेकर साक्षी को सम्मन भिजवाने की सहायता ले सकता है जिस पर यदि न्यायालय द्वारा भेजे गये ऐसे सम्मन की तामीली के बाद भी वह व्यक्ति साक्ष्य के लिए उपस्थित नहीं होता है या दस्तावेज दाखिल नहीं करता है तो उस स्थिति में इस अधिनियम की धारा–27 में यह स्पष्ट व्यवस्था की गयी है कि ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध न्यायालय के अनुरूप ही दण्डित करने की कार्यवाही की जा सकती है।

जब मध्यस्थ विवादों का निपटारा करने के लिए पक्षकारों की सुनवाई पूरी कर लेता है तो विवादों के निस्तारण हेतु जो वह निर्णय देता है उसको पंचाट कहा जाता है। इस पंचाट का क्या स्वरूप होना चाहिए लिखित रूप में होने के साथ–साथ मध्यस्थ के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। इस पंचाट में उन सभी कारणो का उल्लेख किया जाना आवश्यक है जिनके आधार पर निष्कर्ष दिये गये थे। मध्यस्थ द्वारा दिये गये पंचाट में जिस तिथि में पंचाट तैयार किया गया वह तिथि एवं स्थान जहाँ पर उसकी सुनवाई की गयी उसका उल्लेख किया जाना आवश्यक है और पंचाट की एक– एक हस्ताक्षरित प्रति सम्बन्धित पक्षकारों को दी जायेगी ताकि उनको यदि पंचाट कार्यवाही के विरूद्ध कोई आपत्ति हो तो उसके लिए वह उचित कार्यवाही कर सके।

मध्यस्थ के पंचाट पर पक्षकारों द्वारा आपत्ति न किये जाने पर वह अन्तिम होने पर पक्षकारों पर बाध्यकर होता है मध्यस्थ द्वारा विवादों के निस्तारण के बाद जो निर्णय दिया जाता है अर्थात जो पंचाट तैयार किया जाता है उसका विधिवत निष्पादन विवादग्रस्त सम्पत्ति के मूल्यांकन के अनुसार देय स्टाम्प ड्यूटी के दस्तावेज पर किया जाता है और यदि वह पंचाट अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित है तो उसका रजिस्ट्रेशन किया जाना आवश्यक है परन्तु यह तभी किया जाना सम्भव है जब ऐसे पंचाट पर यदि पक्षकारों को कोई आपत्ति है तो उस आपत्ति का विधिवत निस्तारण करते हुए पंचाट को बरकरार रखा गया हो। जब पंचाट के विरूद्ध किसी पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं होती तो उस स्थिति में पंचाट फाईनल होने के परिणामस्वरूप दोनों पक्षों पर बाध्यकर होगा। इसके लिए न्यायालय आदेश की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऐसे पंचाट बिना न्यायालय के आदेश के ही न्यायालय की डिक्री की तरह प्रभावी माने जायेंगे।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 2, July 2022
Impact Factor: 6.252

पंचाट को पक्षकार कब और कैसे आपास्त करा सकते हैं –

मध्यस्थ द्वारा जो पंचाट दिया जाता है उससे पक्षकारों का प्रभावित होना स्वाभाविक ही है और यदि कोई पक्षकार यह अनुभव करता है कि मध्यस्थ द्वारा पंचाट से कोई गलती की गई है और पंचाट को आपास्त किया जाना जरूरी है तो उस स्थित की प्रति मिलने से तीन महीने के अंदर ही पंचाट में आपत्तियां दाखिल करते हुए न्यायालय में इसे आपास्त कराने के लिए आवेदन करना होता है जिस पर न्यायालय दोनों पक्षकारों को नोटिस देने के बाद एवं सुनवाई के पश्चात यदि आपत्तियों को सारपूर्ण पाती है तो न्यायालय ऐसे पंचाट को अपास्त करने का आदेश पारित कर सकती है। अतः जब पंचाट के विरूद्ध दाखिल आपत्तियां खारिज कर दी जाती हैं तो वह पंचाट इस अधिनियम की धारा – 35 के अन्तर्गत फाईनल मानते हुए अधिनियम की धारा–36 में ही उसे पक्षकारों पर न्यायालय की डिक्री के रूप में बाध्यकर माना जाता है।

सुलह विधि

हमारे देश में अभी भी लोग इस बात का प्रयास करते हैं कि झगड़ों का सुलह के माध्यम से ही निस्तारण हो जाये और इसके लिए प्रायः अपने किसी सम्मानित रिश्तेदार को बीच में डालते हैं जो सुलहकर्ता के रूप में दोनों पक्षकारों की बातों को सुनकर उनका आपसी समझौता कराने का प्रयास करता है परन्तु जहां तक सुलह सम्बन्धी विवादों का प्रश्न है उसके लिए अभी तक कोई कानून नहीं बनाया गया था। अब जाकर प्रथम बार मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 को सृजित किया गया जिसके भाग–तीन में धारा 61 से धारा 86 द्वारा सुलह को कानूनी रूप देते हुए जो समझौता मध्यस्थम की सुलह से पक्षकारों के बीच कराया जाता है उसे मध्यस्थ के अवार्ड की तरह ही न्यायालय की डिक्री के रूप में प्रभावी बनाया गया है ।

सुलहकर्ता मध्यस्थ की तरह पक्षकारों के बीच साक्ष्य लेखबद्ध करने एवं अन्य सुनवाई के बावत औपचारिक कार्यवाही नहीं करता। जहाँ मध्यस्थ द्वारा पक्षकारों के बीच विवादों का निस्तारण किया जाता है तो उसमें मध्यस्थम दोनों पक्षकारों को अपना–अपना जवाबदावा एवं दस्तावेज दाखिल कराने के बाद पक्षकारों की उपस्थिति में उसे साक्ष्य लेखबद्ध करना होता है और उसके बाद जाकर उसे साक्ष्य पर विचार करने के बाद अपना निर्णय की तरह कोई अपना फैसला नहीं देना होता है बल्कि दोनों पक्षकारों को मानकर उनकी इच्छा रूप आपस में समझौता करवाना होता है। इस प्रकार पक्षकारों के बीच सौहार्द को बढ़ाकर उनके बीच वैमनस्य को समाप्त करते हुए रजामंदी अथवा सुलह के आधार पर ही पक्षकारों द्वारा ही फैसला करवाना होता है और सुलहकर्ता द्वारा कराया गया ऐसा फैसला पंचाट के रूप में न्यायालय की डिक्री के समान प्रभावी माना जायेगा।

सुलह के विवादों को निपटाने की शुरूआत कैसे की जा सकती

जब पक्षकारों के बीच झगड़ा उत्पन्न होता है तो उसका अभिप्राय यह है कि दोनों पक्षकार के अधिकारों एवं कर्तव्यों के बीच में टकराव हुआ है और वह अपने दायित्वों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है इसलिए जो झगड़ा उत्पन्न होता है तो उसके निस्तारण की आवश्यकता पड़ती है। जब पक्षकार अपने झगड़े को सुलह के माध्यम से निस्तारण करना चाहते हैं तो उसके लिए दोनों पक्षकारों में से एक को आगे आना पड़ता है कि वह सुलह से झगड़े का निस्तारण करने की इच्छा दूसरे पक्षकार को प्रकट करे जिससे कि यदि दूसरा पक्षकार सुलह के लिए तैयार हो जाता है तभी पक्षकारों के बीच सुलहकर्ता की नियुक्ति का कार्य प्रारम्भ होता है और उसके बाद सुलह के प्रयास किये जा सकते हैं अतः इस अधिनियम की धारा–62 के अन्तर्गत यह प्रावधान किया गया है कि जो पक्षकार सुलह से झगड़े के निस्तारण के लिए शुरूआत करना चाहता है उसे दूसरे पक्षकार को लिखित रूप से अपने इस सुझाव के लिए आमंत्रित करने के लिए सूचित करना होगा और यदि निमंत्रण के प्राप्त होने के 30 दिन के अन्दर दूसरा पक्षकार इस सुलह के माध्यम से झगड़े को तय कराने

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 2, July 2022
Impact Factor: 6.252

को तैयार हो जाता है तो सुलह की कार्यवाही प्रारम्भ हो जाती है अन्यथा इस निमंत्रण दिये जाने के नोटिस के प्राप्त होने के 30 दिन बाद ऐसा निमंत्रण रद्द समझा जाता है।

सुलहकर्ता की नियुक्ति करने की प्रारम्भ करनी होती है। यदि पक्षकार ऐसे किसी सुलहकर्ता के नाम पर सहमत नहीं होते तो वह किसी अन्य संस्था या व्यक्ति को यह कार्य सौंप सकते हैं कि वह किसी सुलहकर्ता का नाम सुझाये और ऐसे नाम के सुझाव पर विचार करके पक्षकारों की सहमति से सुलहकर्ता की नियुक्ति कर सकते हैं। सुलहकर्ता की नियुक्ति की व्यवस्था अधिनियम की धारा 64 में विस्तृत रूप से दी गयी है। में सुलहकर्ता की नियुक्ति होने के बाद वह दोनों पक्षकारों को यह निर्दिष्ट करेगा कि वे लिखित रूप में अपना प्रतिवेदन दें जिसमें यह उल्लेख किया हो कि उनके झगड़े की क्या प्रकृति है और उनके आपसी मतभेदों के क्या बिन्दु हैं इस प्रकार दोनों पक्षकारों से प्राप्त हुए प्रतिवेदन की एक–एक प्रति दूसरे पक्षकार को उपलब्ध करा दी जायेगी ताकि वे एक दूसरे के मतभेदों के कारणों को समझ सकें। इस प्रकार सुलहकर्ता द्वारा यदि प्राप्त हुए प्रतिवेदनों को देखने के बाद यानि पक्षकारों को अपने कथन के समर्थन में कोई दस्तावेज या तथ्यों को देना आवश्यक समझता है तो इसके लिए वह पक्षकारों से कह सकता है। ऐसे अतिरिक्त प्रतिवेदन या जवाबदावा मिलने पर इसकी प्रतिलिपि भी दूसरे पक्षकार को उपलब्ध करायी जायेगी। पक्षकारों के जवाबदावा प्राप्त होने के बाद सुलहकर्ता सिविल प्रक्रिया संहिता या साक्ष्य अधिनियम के प्राविधानों का पालन करने के लिए बाध्यकर नहीं है। इसलिए वह दोनों पक्षकारों के बीच उनके झगड़े को निपटाने के लिए सुलह कराने में जो भी सहायता की आवश्यकता हो, करेगा और वह पक्षकारों को आपसी समझौते के लिए पहुँचाने के लिए अपने प्रस्ताव भी समय–समय पर उनको दे सकता है । यदि सुलहकर्ता यह समझता है कि पक्षकारों को संयुक्त रूप से बुलाकर उनसे और बातचीत की जाये या पक्षकारों से अलग–अलग बात करके उनके झगड़े का हल प्रारम्भ करनी होती है। यदि पक्षकार ऐसे किसी सुलहकर्ता के नाम पर सहमत नहीं होते तो वह किसी अन्य संस्था या व्यक्ति को यह कार्य सौंप सकते हैं कि वह किसी सुलहकर्ता का नाम सुझाये और ऐसे नाम के सुझाव पर विचार करके पक्षकारों की सहमति से सुलहकर्ता की नियुक्ति कर सकते हैं। सुलहकर्ता की नियुक्ति की व्यवस्था अधिनियम की धारा 64 में विस्तृत रूप से दी गयी है । में

सुलहकर्ता की नियुक्ति होने के बाद वह दोनों पक्षकारों को यह निर्दिष्ट करेगा कि वे लिखित रूप में अपना प्रतिवेदन दें जिसमें यह उल्लेख किया हो कि उनके झगड़े की क्या प्रकृति है और उनके आपसी मतभेदों के क्या बिन्दु हैं इस प्रकार दोनों पक्षकारों से प्राप्त हुए प्रतिवेदन की एक–एक प्रति दूसरे पक्षकार को उपलब्ध करा दी जायेगी ताकि वे एक दूसरे के मतभेदों के कारणों को समझ सकें। इस प्रकार सुलहकर्ता द्वारा यदि प्राप्त हुए प्रतिवेदनों को देखने के बाद यानि पक्षकारों को अपने कथन के समर्थन में कोई दस्तावेज या तथ्यों को देना आवश्यक समझता है तो इसके लिए वह पक्षकारों से कह सकता है। ऐसे अतिरिक्त प्रतिवेदन या जवाबदावा मिलने पर इसकी प्रतिलिपि भी दूसरे पक्षकार को उपलब्ध करायी जायेगी। पक्षकारों के जवाबदावा प्राप्त होने के बाद सुलहकर्ता सिविल प्रक्रिया संहिता या साक्ष्य अधिनियम के प्राविधानों का पालन करने के लिए बाध्यकर नहीं है। इसलिए वह दोनों पक्षकारों के बीच उनके झगड़े को निपटाने के लिए सुलह कराने में जो भी सहायता की आवश्यकता हो, करेगा और वह पक्षकारों को आपसी समझौते के लिए पहुँचाने के लिए अपने प्रस्ताव भी समय–समय पर उनको दे सकता है। यदि सुलहकर्ता यह समझता है कि पक्षकारों को संयुक्त रूप से बुलाकर उनसे और बातचीत की जाये या पक्षकारों से अलग–अलग बात करके उनके झगड़े का हल लोक अदालत (पीपुल्स कोर्ट) की अवधारणा विश्व न्यायशास्त्र में एक अभिनव भारतीय योगदान है।

लोक अदालतों की शुरूआत ने इस देश की न्याय व्यवस्था को एक नया अध्याय जोड़ा और पीड़ितों को उनके विवादों के संतोषजनक समाधान के लिए एक पूरक मंच प्रदान करने में सफल रही। यह प्रणाली गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 2, July 2022
Impact Factor: 6.252

- जनता को बिजली, प्रकाश और पानी की आपूर्ति .
- सार्वजनिक संरक्षण या स्वच्छता की प्रणाली
- केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित बीमा सेवाएं और ऐसी अन्य सेवाएँ
- स्थायी लोक अदालतों में वही शक्तियाँ होती हैं जो अदालतों में निहित होती हैं।

लोक अदालतों का क्षेत्राधिकार

लोक अदालत के अधिकार क्षेत्र में निर्धारित करने और पक्षकारों के बीच किसी विवाद के संबंध में समझौता या समझौता करने के लिए होगा–जैसे पहले से लंबित कोई भी मामला; या कोई भी मामला जो के अधिकार क्षेत्र में आ रहा है, और पहले नहीं लाया गया है, कोई भी अदालत जिसके लिए लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। लोक अदालत उन आपराधिक मामलों से भी समझौता और समझौता कर सकती है, जो संबंधित कानूनों के तहत यौगिक हैं। लोक अदालतों में कई मामलों से निपटने की क्षमता हैरू जटिल सिविल, राजस्व और आपराधिक मामले दावा करता है .

- मोटर दुर्घटना मुआवजा मामलों का
- विभाजन का दावा
- मामलों को नुकसान
- वैवाहिक और पारिवारिक विवाद .
- भूमि मामले का म्यूटेशन
- भूमि पट्टिका के मामले .
- बंधुआ मजदूरी के मामले
- भूमि अधिग्रहण विवाद •
- बैंक के अवैतनिक ऋण के मामले .
- सेवानिवृत्ति के मामलों के मामले में लाभ
- परिवार न्यायालय के मामले
- मामले, जो कि पराधीन नहीं हैं।

पक्षकारों के बीच जब विवाद उत्पन्न होता है तो उन विवादों के समाधान के लिए किसी पक्षकार को न्यायालय की शरण लेकर दूसरे पक्षकार के विरूद्ध मुकदमा दायर करना पड़ता है। इस मुकदमे के दायर करने से पहले न्यायालय में उसकी विधिवत कोर्ट फीस भी अदा करनी होती है और मुकदमे को दायर करने की औपचारिकता पूरी करने के लिए वकीलों की सहायता ली जाती है तब न्यायालय में मुकदमों की कार्यवाही प्रारम्भ होती है। परन्तु जहां तक मध्यस्थम द्वारा पक्षकारों के विवादों के निस्तारण का प्रश्न है उसमें केवल मात्र पक्षकार अपने ही चुने हुए मध्यस्थों को विवाद के निस्तारण हेतु निर्दिष्ट करके मध्यस्थ के सम्मुख कार्यवाही प्रारम्भ कर सकते हैं जो दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद अपना निर्णय अर्थात पंचाट देता है जिसमें न्यायालय की किसी प्रकार की औपचारिकता का झंझट नहीं उठाना पड़ता है। इस प्रकार जहां पक्षकार अपने विवादों के हल के लिए न्यायालय में मुकदमा न दायर करके किसी ऐसे व्यक्ति को मध्यस्थ बनाने के लिए सहमत हो जाते हैं जो उनके विवादों का निपटारा करें तो पक्षकारों की रजामन्दी से नियुक्त किये गये व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जो विवादों का निपटारा किया जाता है उसको मध्यस्थम कहा जाता है।

इस प्रकार निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि मध्यस्थम एवं सुलह विधि के अन्तर्गत लोक अदालतों में विवादों

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 2, July 2022
Impact Factor: 6.252

के समाधान के लिए पक्षकार को न्यायालय में विवादों को हल करने के लिए एक मध्यस्थों के माध्यम से सुलभ प्रक्रिया है जिसमें पक्षकारों के पैसे एवं अदालती कार्यवाई में लगने वाले श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है और आसानी से न्याय मिल जाता है।

संदर्भ स्रोत :–

[1]. मध्यस्थम एवं सुलह विधि : सरल कानूनी ज्ञान माला, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकारण उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल, उत्तराखण्ड।

[2]. Agrawal, K.B. Legal Services in India - Some Respected Trends, 1983, 8 All L.J. 127 (1983)

[3]. कानून– एक परिचय : वैकल्पिक विवाद समाधान पद्धति।

[4]. Bhaagwati Justice P.N. Law Justice & the Underprivileged Keynote address at the national Scmmar on Underprivileged Rural Labour held at New Delhi January 5-8, 1984